मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान अभियान

पारदर्शिता, विकास व सुशासन

5+2

जन सेवा के सात वर्ष

अंत्योदय से जुड़ी विभागीय योजनाएं

- हरियाणा अनुसूचित जातियां वित्तीय एवं विकास निगम 00
- हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग 00
- कल्याण निगम 00
- पशुपालन और डेयरी विभाग 00
- हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ लि. 00
- हरियाणा महिला विकास निगम 00
- हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद 00
- हरियाणा कौशल विकास मिशन 00
- रोज़गार विभाग..... 00
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय 00
- हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड 00
- उद्यान विभाग 00
- मत्स्य पालन विभाग 00
- ग्रामीण विकास विभाग 00
- हरियाणा रेड क्रॉस सोसायटी 00
- इलैक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी 00
- शहरी स्थानीय निकाय विभाग 00

प्राक्कथन

मेरे प्रिय हरियाणावासियों!

गरीब और गरीबी इन दोनों शब्दों को सुनते ही किसी भी संवेदनशील व्यक्ति में दयनीयता का भाव आ जाता है। इसीलिए सदियों से हमारी संस्कृति में गरीब की मदद करने की परंपरा रही है। सरकार का भी संवैधानिक व नैतिक दायित्व होता है कि वह गरीबों की मदद करे ताकि वे गरीबी रेखा से ऊपर उठकर मुख्यधारा में शामिल हो सकें।

वर्ष 2014 में जब हमने जनसेवा का दायित्व संभाला था तभी से पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उत्थान हमारी पहली प्राथमिकता रही है। हमने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के ओजस्वी मार्गदर्शन में 'सबका साथ-सबका विकास' के मूलमंत्र और पण्डित दीनदयाल उपाध्याय जी के 'अंत्योदय' के दर्शन पर चलते हुए गरीबों का जीवनस्तर ऊपर उठाने के लिए अनेक कारगर कदम उठाए हैं। इसके लिए हमने परिवार को इकाई माना है और सबसे गरीब परिवारों के उत्थान पर ध्यान केंद्रित किया है। यही नहीं ऐसे परिवारों के लिए विशेष रूप से 'मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान अभियान' चलाया है।

इस अभियान के अंतर्गत परिवार पहचान पत्र से डाटा का सत्यापन करके गरीब परिवारों की पहचान की जाती है। इसमें सबसे गरीब 2 लाख परिवारों की पहचान करके उनकी न्यूनतम वार्षिक आय 1 लाख रुपये करने का लक्ष्य है। पहले चरण में एक लाख सबसे गरीब परिवारों की मदद की जाएगी। अब तक 1 लाख रुपये वार्षिक से कम आय वाले 50 हजार परिवारों की पहचान की गई है। इनमें से 19 हजार परिवार तो ऐसे हैं जिनकी वार्षिक आय 50 हजार रुपये से भी कम है। इन परिवारों की कम से कम 1 लाख रुपये वार्षिक आय सुनिश्चित करने के लिए इनके रोजगार व कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हम वर्ष 2025 तक प्रदेश के सभी परिवारों की न्यूनतम वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये करने के लिए प्रतिब) हैं।

इस उदेश्य से विभिन्न विभागों की योजनाओं को 'मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान अभियान' में शामिल किया गया है। इन्हें https://parivarutthan.haryana.gov.in पोर्टल पर हर व्यक्ति के लिए सुलभ कराया गया है। इस पोर्टल पर योजनाओं की जानकारी के अलावा, उनकी पात्रता व लाभ का विवरण दिया गया है। इसी पोर्टल पर पात्र व्यक्ति योजना के लिए आवेदन भी कर सकता है।

इन्हीं योजनाओं का विवरण इस पुस्तिका में दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके। मुझे विश्वास है कि यह पुस्तिका प्रदेश के गरीब परिवारों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी। मैं ऐसे परिवारों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने लिए अनुकूल योजना का चयन कर उसका लाभ उठाएं।

जय हरियाणा, जय हिंद

आपका

श्री मनोहर लाल
मुख्यमंत्री

कैबिनेट मंत्री

श्री दुष्यंत चौटाला
उप मुख्यमंत्री

कमरा नं. 40/5, सचिवालय
दूरभाष नं. 0172–2740212

श्री अनिल विज
गृह मंत्री

कमरा नं. 32/8, सचिवालय
दूरभाष नं. 0172–2740793

श्री कंवर पाल
शिक्षा मंत्री

कमरा नं. 34/8, सचिवालय
दूरभाष नं. 0172–2740010

श्री मूलचंद शर्मा
परिवहन मंत्री

कमरा नं. 49/8, सचिवालय
दूरभाष नं. 0172–2740157

श्री रंजीत सिंह
विद्युत मंत्री

कमरा नं. 39/8, सचिवालय
दूरभाष नं. 0172–2740231

श्री जय प्रकाश दलाल
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री

कमरा नं. 42/6, सचिवालय
दूरभाष नं. 0172–2743709

श्री बनवारी लाल
सहकारिता मंत्री

कमरा नं. 24/8, सचिवालय
दूरभाष नं. 0172–2740906

राज्य मंत्री

श्री ओम प्रकाश यादव
सामाजिक न्याय एवं
अधिकारिता राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार

कमरा नं. 43–सी/8, सचिवालय
दूरभाष नं. 0172–2740867

श्रीमती कमलेश ढांडा
महिला एवं बाल विकास,
राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार

कमरा नं. 31/8, सचिवालय
दूरभाष नं. 0172–2740358

श्री अनूप धानक
पुरातत्व एवं संग्रहालय,
राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार

कमरा नं. 47/8 सचिवालय
दूरभाष नं. 0172–2740195

श्री संदीप सिंह
खेल एवं युवा मामले,
राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार

कमरा नं. 30/9, सचिवालय
दूरभाष नं. 0172–2740892

हरियाणा अनुसूचित जातियां वित्तीय एवं विकास निगम

कृषि क्षेत्र (बैंक टाईअप)

पात्रता:–

- प्रार्थी बेरोज़गार होना चाहिए।
- वार्षिक पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 49 हजार रुपये और शहरी क्षेत्रों में 60 हजार रुपये तक होनी चाहिए।
- उम्मीदवार हरियाणा राज्य का निवासी हो और अनुसूचित जाति का हो।
- उम्मीदवार का नाम बी.पी.एल. सूची में होना चाहिए।
- प्रार्थी की आयु 18 से 55 वर्ष तक होनी चाहिए।

लाभ:–

- कृषि क्षेत्र के विभिन्न आय पैदा करने वाली योजनाओं के लिए 1.50 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।
- प्रार्थियों को योजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। अनुदान की अधिकतम सीमा 10 हजार रुपये है।

प्रार्थी आवेदन करें:– http://hsfdc.org.in

औद्योगिक क्षेत्र (बैंक टाईअप)

पात्रता:–

- प्रार्थी बेरोज़गार होना चाहिए।
- वार्षिक पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 49 हजार रुपये और शहरी क्षेत्रों में 60 हजार रुपये होनी चाहिए।
- उम्मीदवार हरियाणा राज्य का निवासी हो और अनुसूचित जाति का हो।
- उम्मीदवार का नाम बी.पी.एल. सूची में होना चाहिए।
- प्रार्थी की आयु 18 से 55 वर्ष तक होनी चाहिए।

लाभ:–

- औद्योगिक क्षेत्र, व्यापार तथा व्यवसायिक क्षेत्रों के विभिन्न आय पैदा करने वाली योजनाओं के लिए 1.50 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।
- प्रार्थियों को योजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। अनुदान की अधिकतम सीमा 10 हजार रुपये है।

प्रार्थी आवेदन करें:– http://hsfdc.org.in

व्यापारिक क्षेत्र (बैंक टाईअप)

पात्रता:–

- प्रार्थी बेरोज़गार होना चाहिए।
- वार्षिक पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 49 हजार रुपये और शहरी क्षेत्रों में 60 हजार रुपये होनी चाहिए।
- उम्मीदवार हरियाणा राज्य का निवासी हो और अनुसूचित जाति का हो।
- उम्मीदवार का नाम बी.पी.एल. सूची में होना चाहिए।
- प्रार्थी की आयु 18 से 55 वर्ष तक होनी चाहिए।

लाभ:–

- व्यापार क्षेत्र के विभिन्न आय पैदा करने वाली योजनाओं के लिए 1.50 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।
- प्रार्थियों को योजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। अनुदान की अधिकतम सीमा 10 हजार रुपये है।

प्रार्थी आवेदन करें:– http://hsfdc.org.in

व्यवसायिक क्षेत्र (बैंक टाईअप)

पात्रता:–

- प्रार्थी बेरोज़गार होना चाहिए।
- वार्षिक पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 49 हजार रुपये और शहरी क्षेत्रों में 60 हजार रुपये होनी चाहिए।
- उम्मीदवार हरियाणा राज्य का निवासी हो और अनुसूचित जाति का हो।
- उम्मीदवार का नाम बी.पी.एल. सूची में होना चाहिए।
- प्रार्थी की आयु 18 से 55 वर्ष तक होनी चाहिए।

लाभ:–

- व्यवसायिक क्षेत्र के विभिन्न आय पैदा करने वाली योजनाओं के लिए 1.50 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।
- प्रार्थियों को योजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। अनुदान की अधिकतम सीमा 10 हजार रुपये है।

प्रार्थी आवेदन करें:– http://hsfdc.org.in

महिला समृद्धि योजना (नेशनल शेडयूलड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन)

पात्रताः–

- प्रार्थी महिला हो, अनुसूचित जाति की हो और हरियाणा की स्थाई निवासी हो।
- प्रार्थी की आयु 18 से 45 वर्ष तक होनी चाहिए।
- कम से कम 50 प्रतिशत आवेदकों की पारिवारिक वार्षिक आय 1.50 लाख रुपये तक और शेष 50 प्रतिशत आवेदकों की पारिवारिक वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक हो।

लाभः–

- एन.एस.एफ.डी.सी. के सहयोग से निगम महिला समृद्धि योजना के लिये ऋण प्रदान करता है, जिसमें इकाई लागत 75 हजार रुपये तक है।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे प्रार्थियों को योजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। अनुदान की अधिकतम सीमा 10 हजार रुपये है।

प्रार्थी आवेदन करें:– http://hsfdc.org.in तथा https://saralharyana.gov.in

सूक्ष्म ऋण योजना (नेशनल शेडयूलड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन)

पात्रताः–

- प्रार्थी अनुसूचित जाति और हरियाणा का स्थाई निवासी हो ।
- प्रार्थी की आयु 18 से 45 वर्ष तक होनी चाहिए।
- कम से कम 50 प्रतिशत आवेदकों की पारिवारिक वार्षिक आय 1.50 लाख रुपये तक और शेष 50 प्रतिशत आवेदकों की पारिवारिक वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक हो।

लाभः–

- एन.एस.एफ.डी.सी. के सहयोग से निगम सूक्ष्म ऋण योजना के लिये ऋण प्रदान करता है। ऋण की सीमा 75 हजार रुपये तक है।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे प्रार्थियों को योजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। अनुदान की अधिकतम सीमा 10 हजार रुपये है।

प्रार्थी आवेदन करें:–http://hsfdc.org.in तथा https://saralharyana.gov.in

लघु व्यावसायी योजना (नेशनल शेड्यूलड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन)

पात्रताः–

- प्रार्थी अनुसूचित जाति और हरियाणा का स्थाई निवासी हो।
- प्रार्थी की आयु 18–45 वर्ष होनी चाहिए।
- कम से कम 50 प्रतिशत आवेदकों की पारिवारिक वार्षिक आय 1.50 लाख रुपये तक और शेष 50 प्रतिशत आवेदकों की पारिवारिक वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक हो।

लाभः–

- एन.एस.एफ.डी.सी. के सहयोग से निगम लघु व्यवसाय योजना के लिये ऋण प्रदान करता है। ऋण की सीमा 2 लाख रुपये तक है।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे प्रार्थियों को योजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। अनुदान की अधिकतम सीमा 10 हजार रुपये है।

प्रार्थी आवेदन करें:–http://hsfdc.org.in तथा https://saralharyana.gov.in

शिक्षा ऋण स्कीम (नेशनल शेड्यूलड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन)

पात्रताः–

- प्रार्थी अनुसूचित जाति और हरियाणा का स्थाई निवासी हो।
- प्रार्थी की आयु 18–45 वर्ष होनी चाहिए।
- कम से कम 50 प्रतिशत आवेदकों की पारिवारिक वार्षिक आय 1.50 लाख रुपये तक और शेष 50 प्रतिशत आवेदकों की पारिवारिक वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक हो।

लाभः–

- एन.एस.एफ.डी.सी. के सहयोग से निगम शिक्षा ऋण योजना के लिये ऋण प्रदान करता है, जिसमें भारत में अध्ययन के लिये 10 लाख रुपये तक तथा विदेश में अध्ययन के लिये 20 लाख रुपये तक है।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे प्रार्थियों को योजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। अनुदान की अधिकतम सीमा 10 हजार रुपये है।

प्रार्थी आवेदन करें:–http://hsfdc.org.in तथा https://saralharyana.gov.in

महिला अधिकारिता योजना (नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन)

पात्रताः–

- प्रार्थी महिला हो, महिला सफाई कर्मचारी हो या उसका आश्रित होना चाहिए।
- महिला प्रार्थी के पास सरकारी विभाग द्वारा जैसे स्कूल, कॉलेज, वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुपालन विभाग के कम से कम राजपत्रित अधिकारी से अथवा नगर निकाय/निगम के निर्वाचित सदस्य और ग्राम पंचायत के प्रधान, स्थानीय राजस्व अधिकारी या स्थानीय नगरपालिका कार्यालय के अधिकारी द्वारा जारी किया गया सफाई कर्मचारी या आश्रित का सर्टिफिकेट होना चाहिए।
- आय की कोई सीमा नहीं है।
- प्रार्थी की आयु 18 से 55 वर्ष तक होनी चाहिए।

लाभः–

- इस योजना के तहत अनुसूचित जाति की महिलाओं को ब्यूटी पार्लर, टेलर शॉप, सौंदर्य प्रसाधन शॉप, चूड़ी शॉप आदि खोलने हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ऋण की सीमा 2 लाख रुपये तक है।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे प्रार्थियों को योजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। अनुदान की अधिकतम सीमा 10 हजार रुपये है।

प्रार्थी आवेदन करें:–http://hsfdc.org.in तथा https://saralharyana.gov.in

महिला समृद्धि योजना (नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन)

पात्रताः–

- प्रार्थी महिला हो, महिला सफाई कर्मचारी हो या उसका आश्रित होना चाहिए।
- महिला प्रार्थी के पास सरकारी विभाग द्वारा जैसे स्कूल, कॉलेज, वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुपालन विभाग के कम से कम राजपत्रित अधिकारी से अथवा नगर निकाय/निगम के निर्वाचित सदस्य और ग्राम पंचायत के प्रधान, स्थानीय राजस्व अधिकारी या स्थानीय नगरपालिका कार्यालय के अधिकारी द्वारा जारी किया गया सफाई कर्मचारी या आश्रित का सर्टिफिकेट होना चाहिए।
- आय की कोई सीमा नहीं है।
- प्रार्थी की आयु 18 से 55 वर्ष तक होनी चाहिए।

लाभः–

- एन.एस.एफ.डी.सी. के सहयोग से निगम महिला समृद्धि योजना के लिये ऋण प्रदान करता है। ऋण की सीमा 1 लाख रुपये तक है।

- गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे प्रार्थियों को योजना लागत का 5 0 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। अनुदान की अधिकतम सीमा 1 0 हजार रुपये है।

प्रार्थी आवेदन करें:–http://hsfdc.org.in तथा https://saralharyana.gov.in

सावधि ऋण (नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन)

पात्रता:–

- प्रार्थी महिला सफाई कर्मचारी/उसका आश्रित होना चाहिए।
- महिला प्रार्थी के पास सरकारी विभाग द्वारा जैसे स्कूल, कॉलेज, वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुपालन विभाग के कम से कम राजपत्रित अधिकारी से अथवा नगर निकाय/निगम के निर्वाचित सदस्य और ग्राम पंचायत के प्रधान, स्थानीय राजस्व अधिकारी या स्थानीय नगरपालिका कार्यालय के अधिकारी द्वारा जारी किया गया सफाई कर्मचारी या आश्रित का सर्टिफिकेट होना चाहिए।
- आय की कोई सीमा नहीं है।
- प्रार्थी की आयु 1 8 से 5 5 वर्ष तक होनी चाहिए।

लाभ:–

- एन.एस.एफ.डी.सी. के सहयोग से निगम सावधि ऋण योजना के लिये ऋण प्रदान करता है, जिसमें इकाई लागत 3 लाख रुपये तक है।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे प्रार्थियों को योजना लागत का 5 0 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। अनुदान की अधिकतम सीमा 1 0 हजार रुपये है।

प्रार्थी आवेदन करें:–http://hsfdc.org.in तथा https://saralharyana.gov.in

सूक्ष्म ऋण योजना (नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन)

पात्रता:–

- प्रार्थी महिला सफाई कर्मचारी/उसका आश्रित होना चाहिए।
- महिला प्रार्थी के पास सरकारी विभाग द्वारा जैसे स्कूल, कॉलेज, वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुपालन विभाग के कम से कम राजपत्रित अधिकारी से अथवा नगर निकाय/निगम के निर्वाचित सदस्य और ग्राम पंचायत के प्रधान, स्थानीय राजस्व अधिकारी या स्थानीय नगरपालिका कार्यालय के अधिकारी द्वारा जारी किया गया सफाई कर्मचारी या आश्रित का सर्टिफिकेट होना चाहिए।

- आय की कोई सीमा नहीं है।
- प्रार्थी की आयु 18 से 55 वर्ष तक होनी चाहिए।

लाभः–

- एन.एस.एफ.डी.सी. के सहयोग से निगम सूक्ष्म ऋण योजना के लिये ऋण प्रदान करता है। ऋण की सीमा 1 लाख रुपये तक है।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे प्रार्थियों को योजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। अनुदान की अधिकतम सीमा 10 हजार रुपये है।

प्रार्थी आवेदन करें:–http://hsfdc.org.in तथा https://saralharyana.gov.in

हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग कल्याण निगम

पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए स्वरोज़गार योजना

पात्रताः–

- आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक पिछड़ा वर्ग से संबंधित होना चाहिए।
- आयु 18 से 55 साल के बीच होनी चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

लाभः–

- ऋण लेने के बाद आवेदक अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर आय अर्जित कर सकते हैं।
- प्रार्थी को वार्षिक वित्तीय लाभः–
- 50 हजार रुपये की न्यूनतम ऋण राशि के साथ, लाभार्थी लगभग 60 हजार से 80 हजार रुपये सालाना कमा सकते हैं।

प्रार्थी आवेदन करें:–http://hsfdc.org.in तथा https://saralharyana.gov.in

अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए सावधि ऋण योजना

पात्रताः–

- आवेदक को हरियाणा राज्य के स्थायी निवासी होना चाहिए।

- आवेदक किसी एक अल्पसंख्यक समुदाय सिक्ख, इसाई, बोध, मुस्लिम, पारसी व जैन समुदाय से सम्बन्ध रखता हो।
- आयु 18 से 55 साल के बीच।
- आवेदक की कुल वार्षिक पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 98 हजार रुपये और शहरी क्षेत्र में 1.20 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

लाभः–

- ऋण लेने के बाद आवेदक अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर आय अर्जित कर सकते हैं।
- प्रार्थी को वार्षिक वित्तीय लाभः–
- 50 हजार रुपये की न्यूनतम ऋण राशि के साथ, लाभार्थी लगभग 60 हजार से 80 हजार रुपये सालाना कमा सकते हैं।

प्रार्थी आवेदन करें:–http://hsfdc.org.in तथा https://saralharyana.gov.in

दिव्यांगजनों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान हेतु ऋण योजना

पात्रताः–

- हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए।
- दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।
- आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- मानसिक मंदता वाले व्यक्ति के मामले में 18 वर्ष की आयु के स्थान पर 14 वर्ष तक के लोगों को सुविधा दी जाती है।

लाभः–

- ऋण लेने के बाद आवेदक अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर आय अर्जित कर सकते हैं।

प्रार्थी को वार्षिक वित्तीय लाभः–

- 50 हजार रुपये की न्यूनतम ऋण राशि के साथ, लाभार्थी लगभग 60 हजार से 80 हजार रुपये सालाना कमा सकते हैं।

प्रार्थी आवेदन करें:–http://hsfdc.org.in तथा https://saralharyana.gov.in

पशुपालन और डेयरी विभाग

हाइटेक डेयरी/मिनी डेयरी इकाइयों की स्थापना के लिए योजना

पात्रता:–

- हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक बेरोज़गार होना चाहिए।
- आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- कोई अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता या प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं।

लाभ:–

- 4 व 10 दुधारू पशुओं की डेयरी पर एकमुश्त 25 प्रतिशत अनुदान।
- 20 व 50 दुधारू पशुओं की डेयरी स्थापित करने पर पशुओं की कुल कीमत की 75 प्रतिशत लागत पर ब्याज अनुदान।

प्रार्थी आवेदन करें:– https://saralharyana.gov.in

पशुधन इकाइयों/डेयरी/सूकर/भेड़ व बकरी इकाई की स्थापना करके अनुसूचित जातियों को रोज़गार के अवसरों के लिए योजना

पात्रता:–

- हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक बेरोज़गार और अनुसूचित जाति से होना चाहिए।
- आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- कोई अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता या प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं।

लाभ:–

- दो/तीन दुधारू पशुओं की डेयरी की स्थापना:– यह योजना बैंकों की वित्तीय सहायता से लागू की जा रही है। डेयरी इकाइयों की स्थापना पर वित्तीय सहायता लागत का 50 प्रतिशत (दुधारू पशु की नाबार्ड द्वारा नीयत की गई कीमत अनुसार) अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।
- सूअर इकाई की स्थापना:– यह योजना बैंकों की वित्तीय सहायता से लागू की जा रही है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति के परिवारों को प्रति सूकर इकाई (यॉर्कशायर नस्ल के 10 सूअरी और 1 सूअर) 50 प्रतिशत की दर से अनुदान दिया जाता है, जिसकी अधिकतम राशि 49,500 रुपये होती है।

- भेड़/बकरी इकाई की स्थापनाः– यह योजना बैंकों की वित्तीय सहायता से लागू की जा रही है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति के परिवारों को प्रति सूकर इकाई (यॉर्कशायर नस्ल के 15 बकरी/भेड़ और 1 बकरा/मेंढा) 90 प्रतिशत की दर से अनुदान दिया जाता है, जिसकी अधिकतम राशि 88,200 रुपये होती है।

प्रार्थी आवेदन करें:– https://saralharyana.gov.in

सामान्य/ओ.बी.सी. वर्ग के लिए सूकर/भेड़ व बकरी इकाई की स्थापना करके रोज़गार के अवसरों के लिए योजना

पात्रताः–

- हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक बेरोज़गार होना चाहिए।
- आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- कोई अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता या प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं।

लाभः–

- 15 भेड/बकरी+मेंढ़ा/बकरा इकाई की स्थापना पर एकमुश्त 25 प्रतिशत अनुदान। अधिकतम अनुदान राशि 24,500 रुपये तक।
- 10+1 सूकर इकाई की स्थापना पर एकमुश्त 25 प्रतिशत अनुदान। अधिकतम अनुदान राशि 24,900 रुपये प्रदान की जाती है।

प्रार्थी आवेदन करें:–https://saralharyana.gov.in

बैकयार्ड कुक्कुट इकाइयों की स्थापना के लिए योजना

पात्रताः–

- हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक बेरोज़गार होना चाहिए।
- आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदनकर्ता अपना आवेदन संबंधित जिले के उपनिदेशक/उपमण्डल कार्यालय में जमा करवा सकता है।

लाभः–

- प्रत्येक परिवार को 8–10 दिन की आयु के 50 कुक्कुट पक्षी बच्चे एवं फीड व पानी के लिए दो बर्तन मुफ्त उपलब्ध।

प्रार्थी आवेदन करें:– अपने गांव के नजदीकी पशु अस्पताल में सम्पर्क करें।

हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ लि.

वीटा बूथों का आवंटन

पात्रताः–

- आवेदक मैट्रिक पास होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक उस जिले का निवासी होना चाहिए, जहां वीटा बूथ के लिए आवेदन कर रहा है।
- आवेदक के पास कम से कम 50 हजार रुपये का बैंक बैलेंस होना चाहिए।
- मौजूदा बूथ होल्डर आवेदन करने के पात्र नहीं है।

लाभः–

- स्व–रोज़गार देने के लिए

प्रार्थी आवेदन करें:– vitaindia.org.in

हरियाणा महिला विकास निगम

विधवाओं के लिए अनुदान योजना

पात्रताः–

- प्रार्थी हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
- वि□ावाएं, तलाकशुदा और कानूनी रूप से अलग महिलाएं, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

लाभः–

- अधिकतम ऋण सीमा 3 लाख रुपये तक।
- लाभार्थियों को कुल ऋण का 10 प्रतिशत देना होगा।
- शेष ऋण वाणिज्यिक/राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- लाभार्थी के समय पर पुनर्भुगतान करने पर ब्याज दर पर तीन वर्षों के लिए 100 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी अथवा अधिकतम 50 हजार रुपये जो भी पहले हो, प्रदान किया जाएगा।

प्रार्थी आवेदन करें:– जिला मुख्यालय पर जिला अधिकारी से सम्पर्क करें।

व्यक्तिगत ऋण योजना

पात्रताः–

- प्रार्थी हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
- आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- महिलाएं, जिनकी वार्षिक आय 1.50 लाख रुपये तक है और जिनके पति/माता–पिता आयकर दाता नहीं है।

लाभः–

- अधिकतम ऋण सीमा 1.50 लाख रुपये तक।
- सब्सिडी 25 प्रतिशत (अन्य श्रेणियों के लिए अधिकतम 10 हजार रुपये तक और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए अधिकतम 25 हजार रुपये तक)
- लाभार्थियों को कुल ऋण का 10 प्रतिशत देना होगा।
- शेष ऋण वाणिज्यिक/राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रदान किया जाएगा।

प्रार्थी आवेदन करें:–https://saralharyana.gov.in

हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद

ब्यूटी केयर प्रशिक्षण

पात्रता:–

- हरियाणा का निवासी हो।
- पढ़ना–लिखना आता हो।

लाभ:–

- जिला बाल कल्याण परिषद् द्वारा अपने स्थापित केन्द्रों के माध्यम से ब्यूटी केयर प्रशिक्षण के अन्तर्गत मेकअप, हेयर कटिंग, मेहन्दी इत्यादि के लिए 1 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण उपरान्त प्रशिक्षणार्थी स्व–रोज़गार स्थापित कर सकता है।

प्रार्थी आवेदन करें:– अपने जिले के जिला बाल कल्याण अधिकारी से सम्पर्क करें।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण

पात्रता:–

- हरियाणा का निवासी हो।
- तीन महीने के प्रशिक्षण के लिए 10वीं पास तथा 6 महीने व एक साल के कोर्स के लिए 12वीं पास होना चाहिए।

लाभ:–

- जिला बाल कल्याण परिषद् द्वारा अपने स्थापित केन्द्रों के माध्यम से कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण द्वारा 3 माह, 6 माह व 1 वर्ष तक का डिप्लोमा कोर्स करवाया जाता है, जिसमें प्रशिक्षणार्थियों को MS Office, Software आदि से सम्बन्धित प्रशिक्षण दिया जाता है।

प्रार्थी आवेदन करें:– अपने जिले के जिला बाल कल्याण अधिकारी से सम्पर्क करें।

सिलाई एवं कढ़ाई प्रशिक्षण

पात्रता:–

- हरियाणा का निवासी हो।
- पढ़ना–लिखना आता हो।

लाभः–

- जिला बाल कल्याण परिषद् द्वारा अपने स्थापित केन्द्रों के माध्यम से सिलाई एवं कढ़ाई सम्बन्धित प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण उपरान्त प्रशिक्षणार्थी स्व–रोज़गार स्थापित कर सकता है।

प्रार्थी आवेदन करें:– अपने जिले के जिला बाल कल्याण अधिकारी से सम्पर्क करें।

हरियाणा कौशल विकास मिशन

सूर्य योजना

पात्रताः–

- आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
- आयु 14 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

लाभः–

- आवेदक को मुफ्त में NSQF संरेखित (Aligned) जॉब रोल में ट्रेनिंग के साथ–साथ सर्टिफिकेशन, प्लेसमेंट और स्व–रोज़गार।

प्रार्थी आवेदन करें:–https://parivarutthan.haryana.gov.in

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

पात्रताः–

- आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 15 से 45 वर्ष तक होनी चाहिए।

लाभ :

- आवेदक को मुफ्त में NSQF संरेखित (Aligned) जॉब रोल में ट्रेनिंग के साथ–साथ सर्टिफिकेशन, प्लेसमेंट और स्व–रोज़गार।

प्रार्थी आवेदन करें:– https://parivarutthan.haryana.gov.in

चालक प्रशिक्षण

पात्रता:–

- प्रार्थी की आयु 18 वर्ष से कम न हो।
- प्रार्थी के पास लाईट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए।
- प्रार्थी कम से कम 8वीं पास हो।

लाभ :

- हल्के वाणिज्यिक वाहन तथा भारी वाणिज्यिक वाहन ड्राईवर कोर्स के साथ स्वः रोज़गार।

प्रार्थी आवेदन करें:– https://parivarutthan.haryana.gov.in

बेरोज़गार युवकों का कम्प्यूटर के माध्यम से टंकण तथा डाटा एन्ट्री में कौशल विकास

पात्रता:–

- प्रशिक्षणार्थी अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग से संबंध रखता हो तथा हरियाणा राज्य का निवासी हो।
- न्यूनतम योग्यता 12वीं पास।

लाभ :

- प्रति छात्र प्रति माह 250 रुपये की दर से वजीफा।
- नोटः–यह स्कीम हारट्रॉन के माध्यम से कुल 6 जिलों (अम्बाला, करनाल, भिवानी, रोहतक, रेवाड़ी तथा हिसार) में ही चलाई जा रही है।

प्रार्थी आवेदन करें:– https://parivarutthan.haryana.gov.in

सिलाई प्रशिक्षण

पात्रता:–

- हरियाणा का निवासी हो।
- अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग से संबंधित लड़कियों व विधवाओं के लिए।
- प्रशिक्षणार्थी के माता–पिता की पारिवारिक वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।

लाभः–

- केन्द्रों के माध्यम से सिलाई एवं कढ़ाई सम्बन्धित प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण उपरान्त प्रशिक्षणार्थी स्वः रोज़गार स्थापित कर सकता है।

प्रार्थी आवेदन करें:– https://parivarutthan.haryana.gov.in

रोज़गार उन्मुख संस्थाएं/प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित करके रोज़गार के संसाधन उत्पन्न करना

पात्रताः–

- प्रशिक्षणार्थी अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग से संबंध रखता हो तथा हरियाणा राज्य का निवासी हो।
- प्रशिक्षणार्थी 10+2 कक्षा पास हो।

लाभः–

- बेरोज़गार युवकों को विभिन्न तकनीकी एवं व्यवसायिक कोर्सों जैसे ड्राईविंग, खाद्य प्रसंस्करण, आटोमोबाईल और पैरामेडिकल इत्यादि ट्रेड्स में प्रशिक्षण उपरान्त स्वः रोज़गार हेतु प्रेरित करना।

प्रार्थी आवेदन करें:– https://parivarutthan.haryana.gov.in

रोज़गार विभाग

सक्षम युवा योजना

पात्रताः–

- आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक सम्बन्धित रोज़गार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए। यदि 10+2, स्नातक/स्नातकोत्तर आवेदक पहले से पंजीकृत नहीं हैं तो विभाग की वैबसाईट https://hrex.gov.in पर अपना नाम पंजीकृत करवा सकता हैं।
- पात्र स्नातकोत्तर/स्नातक डिग्री केवल पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला और यू.टी. चंडीगढ़ या एन.सी.टी. दिल्ली या हरियाणा में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नियमित पाठ्यक्रम के माध्यम से प्राप्त की जानी चाहिए।
- आवेदक द्वारा 10+2 परीक्षा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी, केंद्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड, दिल्ली और आई.सी.एस.ई. बोर्ड, दिल्ली से संबद्ध मान्यता प्राप्त विद्यालय से नियमित विद्यार्थी के रूप में पास होनी चाहिए, जो हरियाणा और यू.टी. चंडीगढ़ में ही स्थित हो।

- आवेदक की 10+2 परीक्षा पत्राचार और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के माध्यम से उत्तीर्ण नहीं होनी चाहिए।
- 10+2 के आवेदकों की आयु 18 से 35 वर्ष और स्नातक/स्नातकोत्तर की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक की सभी स्त्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये से अधिक न हो।
- मानदेय का भुगतान अधिकतम 3 वर्ष या 35 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, के लिए किया जाएगा।

लाभः–

- बेरोज़गारी भत्ता (स्नातकोत्तर को 3000 रुपये प्रतिमाह, स्नातक को 1500 रुपये प्रति माह एवं पात्र 10+2 को 900 रुपये प्रतिमाह)
- मानदेय (स्नातक/स्नातकोत्तर/10+2 को अधिकतम 6 हजार रुपये 100 घण्टे प्रतिमाह मानद कार्य के एवज में)

प्रार्थी आवेदन करें:– https://hreyahs.gov.in

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय

प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.)

पात्रताः–

- प्रार्थी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- कोई आय सीमा नहीं होगी।
- मौजूदा इकाइयाँ और वे इकाइयां, जिन्होंने भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत पहले ही सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाया है, योग्य नहीं होंगे।

लाभः–

- निर्माण क्षेत्र में सब्सिडी की राशि, स्वीकृत परियोजना/इकाई की अधिकतम लागत 25 लाख रुपये है और व्यापार/सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये है।
- कुल परियोजना लागत की शेष राशि बैंकों द्वारा अवधि ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी।
- पी.एम.ई.जी.पी. में विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों का योगदान, सब्सिडी की दर व क्षेत्रवार विवरण।
- सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों का योगदान 10 प्रतिशत परियोजना लागत का।
- विशेष श्रेणी (एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./अल्पसंख्यक) के लाभार्थियों का योगदान 5 प्रतिशत परियोजना लागत का।

- ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य श्रेणी को सब्सिडी – 25 प्रतिशत
- ग्रामीण क्षेत्र में विशेष श्रेणी को सब्सिडी – 35 प्रतिशत
- शहरी क्षेत्र में सामान्य श्रेणी को सब्सिडी – 15 प्रतिशत
- शहरी क्षेत्र में विशेष श्रेणी को सब्सिडी – 25 प्रतिशत

प्रार्थी आवेदन करें:– https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिककरण (पी.एम.एफ.एम.ई.) योजना

पात्रता:–

- आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- कम से कम आठवीं पास होना चाहिए।
- उद्यम के स्वामित्व अधिकार के साथ व्यक्तिगत/साझेदारी फर्म।
- एक परिवार का केवल एक व्यक्ति वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र है। इस उद्देश्य के लिए परिवार में स्वयं, पति या पत्नी और बच्चे शामिल होंगे।

लाभ:–

- मौजूदा असंगठित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को उन्नयन के लिए, अधिकतम 10 लाख रुपये तक अनुदान के साथ परियोजना लागत के 35 प्रतिशत पर क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट।
- स्वयं सहायता समूहों/एफ.पी.ओ./सहकारिताओं को निर्धारित पूंजीगत व्यय की अधिकतम सीमा के साथ, परियोजना लागत के 35 प्रतिशत क्रेडिट लिंक्ड अनुदान।
- खाद्य प्रसंस्करण में लगे लोगों को एक कार्यशील पूंजी व बीज पूंजी के रूप में 40 हजार रुपये प्रति सदस्य दिए जाते हैं।
- साझे बुनियादी ढांचे के लिए परियोजना लागत के 35 प्रतिशत पर क्रेडिट लिंक्ड अनुदान निर्धारित के अनुसार अधिकतम सीमा।
- निर्धारित सीमा के अनुसार, विपणन व ब्रांडिंग के लिए खर्च के 50 प्रतिशत तक की सहायता।

प्रार्थी आवेदन करें:– https://pmfme.mofpi.gov.in/pmfme/#/Login

हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड

हर–हित रिटेल स्टोर

पात्रता:–

- आयु 21–35 वर्ष होनी चाहिए।
- कम से कम 12वीं पास होना चाहिए।
- आवेदक उसी गाँव/वार्ड का निवासी हो, जहां स्टोर प्रस्तावित है।
- आवेदक गैर–आपराधिक पृष्ठभूमि का होना चाहिए।
- सरकारी परियोजनाओं में शून्य वित्तीय देयता हो।
- रिटेल स्टोर के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 150–200 वर्ग फुट की दुकान।

शहरी क्षेत्र में 200 वर्ग फुट या उस से अधिक की दुकान/स्थान।

लाभ:–

- उद्यमी बनने का अवसर।
- कम ब्याज दरों पर बिना कोलैटरल के सीड कैपिटल के रूप में मुद्रा ऋण की सहायता।
- कुल मासिक बिक्री पर 10 प्रतिशत मार्जिन।
- बेहतर स्टोर प्रबंधन के लिए पी.ओ.एस. मशीन और एकीकृत प्रणाली के लिए आई.टी. सपोर्ट।
- उत्पादों पर ग्राहकों को 5 से 50 प्रतिशत तक छूट।
- फ्रेंचाइज़ी को स्टोर संचालन और व्यवसाय का प्रशिक्षण।

प्रार्थी आवेदन करें:– https://harhith.com

उद्यान विभाग

मधुमक्खी पालन

पात्रता:–

- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।

- मधुमक्खी पालन पर सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से कम एक साप्ताहिक प्रशिक्षण का प्रमाण–पत्र।
- पिछले पांच वर्षों में 50 मधुमक्खी के छत्तों और 50 मधुमक्खी कॉलोनियों पर सब्सिडी न ली हो।

लाभः–

- प्रति लाभार्थी अधिकतम 50 मधुमक्खी के बक्से और 50 मधुमक्खी कॉलोनियां पर सब्सिडी।
- मधुमक्खी के बक्से पर 85 प्रतिशत सब्सिडी (1768 रुपये प्रति छत्ता)।
- मधुमक्खी कॉलोनियों पर 85 प्रतिशत सब्सिडी (1700 रुपये प्रति मधुमक्खी कॉलोनी)।
- एक बॉक्स की कुल कीमत 2152 रुपये है, जिसमें लाभार्थी का हिस्सा 642 रुपये और सरकारी अनुदान 1768 रुपये प्रति बॉक्स है।
- एक मधुमक्खी कॉलोनी की कुल लागत 2000 रुपये है, जिसमें लाभार्थी का हिस्सा 300 रुपये और सरकारी अनुदान 1700 रुपये प्रति मधुमक्खी कॉलोनी है ।

प्रार्थी आवेदन करें:– https://hortharyanaschemes.org.in

मशरूम की खेती

पात्रताः–

- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से कम एक साप्ताहिक प्रशिक्षण का प्रमाण–पत्र।

लाभः–

- प्रति लाभार्थी सब्सिडी की अधिकतम सीमा 100 मशरूम ट्रे।
- मशरूम ट्रे पर 50 प्रतिशत सब्सिडी (150 रुपये प्रति मशरूम ट्रे)।
- एक मशरूम ट्रे की कुल कीमत 300 रुपये है, जिसमें लाभार्थी का हिस्सा 150 रुपये और सरकारी अनुदान 150 रुपये है।

प्रार्थी आवेदन करें:– https://hortharyanaschemes.org.in

मत्स्य पालन विभाग

मत्स्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित जातियों के परिवार का कल्याण

पात्रता:–

- प्रार्थी हरियाणा का निवासी हो।
- प्रार्थी की आयु 18 से 60 वर्ष (पढ़ा–लिखा/अनपढ़) हो।

लाभ:–

- अनुसूचित जातियों के परिवारों को ग्रामीण तालाब पट्टे पर लेने उपरांत पट्टा राशि पर प्रथम वर्ष 25 प्रतिशत अनुदान, जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा।
- 10 दिन का प्रशिक्षण व 1100 रुपये प्रशिक्षण भत्ता दिया जायेगा।
- इनपुट, खाद, खुराक पर एक बार 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

प्रार्थी आवेदन करें:– https://saralharyana.gov.in

मछली पालन/प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

पात्रता:–

- प्रार्थी हरियाणा का निवासी हो।
- प्रार्थी की आयु 18 से 60 वर्ष हो।

लाभ:–

- बेरोज़गारों युवकों को निजी जमीन या लम्बी अवधि (8 वर्ष) पट्टे पर लेकर तालाब बनाने हेतु खुदाई पर अनुसूचित जाति के प्रार्थी को 60 प्रतिशत व सामान्य जाति के प्रार्थी को 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
- 10 दिन का प्रशिक्षण व 1100 रुपये प्रशिक्षण भत्ता दिया जायेगा।
- इनपुट, खाद, खुराक पर एक बार अनुसूचित जाति के प्रार्थी को 60 प्रतिशत व सामान्य जाति के प्रार्थी को 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

प्रार्थी आवेदन करें:– https://saralharyana.gov.in

ग्रामीण विकास विभाग

ग्रामीण स्वः रोज़गार प्रशिक्षण योजना

पात्रताः–

- प्रार्थी हरियाणा का स्थाई निवासी हो।
- प्रार्थी की आयु 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए।

लाभः–

- ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता विकास और काम धंधे को सुलभ कराना।
- गुणवत्ता पूर्ण एवं मुफ्त आवासीय प्रशिक्षण के साथ रोज़गार में सहायता।
- प्रशिक्षित उम्मीदवारों को आजीविका कमाने के लिए बैंक ऋण की सुविधा।

प्रार्थी आवेदन करें:– https://kaushalpanjee.nic.in

दीनदयाल अंत्योदय योजना

पात्रताः–

- लाभार्थी हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र का स्थाई निवासी हो।
- ग्रामीण इलाकों में गरीब घरों की प्रति परिवार कम से कम एक महिला को स्वयं सहायता समूह से जोड़ना।

लाभः–

- आजीविका हेतु बैंक से ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाना।
- ग्रामीण गरीब परिवार के युवाओं एवं महिलाओं को कौशल अनुसार प्रशिक्षण देकर स्वः रोज़गार को बढ़ाना।
- स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फंड से 10 हजार रुपये और सामुदायिक निवेश कोष से 50 हजार रुपये प्रति स्वयं सहायता समूह वित्तीय सहायता।

प्रार्थी आवेदन करें:– जिला कार्यक्रम प्रबंधक के कार्यालय में सम्पर्क करें।

दीनदयाल उपाध्याय–ग्रामीण कौशल योजना

पात्रताः–

- लाभार्थी हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र का स्थाई निवासी हो।
- लाभार्थी 18 से 35 वर्ष का होना चाहिए।
- लाभार्थी बी.पी.एल. कार्ड धारक हो।
- बी.पी.एल. कार्ड धारक, मनरेगा जॉब कार्ड धारक या स्वयं सहायता समूह के सदस्य को प्राथमिकता।
- उपेक्षित जनजातीय समूह के व्यक्तियों, दिव्यांग व्यक्तियों तथा अन्य विशेष समूह, जिनमें पुनर्वासित किए गए बंधुआ मजदूर, अवैध व्यापार से पीड़ित व्यक्ति, सिर पर मैला ढोने वाले व्यक्ति, किन्नर, एच.आई.वी. से पीड़ित व्यक्ति आदि शामिल हैं, जिनकी अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी।

लाभः–

- ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब बी.पी.एल. कार्ड धारक बेरोज़गार युवक–युवतियों को हुनर और कौशल देकर सशक्त बनाना।
- रुचि अनुसार प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वः रोज़गार से जोड़ना।

प्रार्थी आवेदन करें:– https://kaushalpanjee.nic.in

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गांरटी योजना (मनरेगा)

पात्रताः–

- लाभार्थी बेरोज़गार होना चाहिए।
- लाभार्थी स्थानीय पंचायत के ग्रामीण परिवार का व्यस्क सदस्य होना चाहिए।
- मजदूरी का भुगतान लाभार्थी के बैंक खाता/डाकघर बचत खाता मे सीधे स्थानान्तरित किया जाता है।

लाभः–

- एक वर्ष में 100 दिन का रोज़गार दिया जाता है।
- लाभ लेने हेतु जॉब कार्ड के लिए पंजीयन एवं उसके बाद काम की मांग के लिए ग्राम पंचायत को आवेदन करना होगा।
- यदि किसी कारणवश 15 दिन के अन्दर रोज़गार प्रदान नहीं किया जाता है तो सरकार के द्वारा उसे बेरोज़गारी भत्ता भी दिया जाता है।

प्रार्थी आवेदन करें:– प्रार्थी सम्बंधित ग्राम पंचायत से सम्पर्क करें।

हरियाणा रेड क्रॉस सोसायटी

होम नर्सिंग प्रशिक्षण

पात्रता:–

- प्रार्थी हरियाणा का स्थाई निवासी हो।
- प्रार्थी को 1,000 रुपये प्रशिक्षण देना होगा।

लाभ:–

- प्रार्थी को प्रशिक्षण नि:शुल्क प्रदान किया जाता है।
- प्रशिक्षण उपरान्त सफल प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण–पत्र दिया जाता है।
- सफल प्रशिक्षणार्थियों को जिला रेड क्रॉस सोसायटी द्वारा रोज़गार के अवसर प्रदान किये जाते हैं।

प्रार्थी आवेदन करें:– https://www.haryanaredcross.in

इलैक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी

कॉमन सर्विस सेंटर

पात्रता:–

- प्रार्थी हरियाणा का स्थायी निवासी हो।
- प्रार्थी की आयु 18 वर्ष तथा न्यूनतम शिक्षा 12वीं पास हो।
- प्रार्थी को कम्प्यूटर की आवश्यक जानकारी हो।
- प्रार्थी के पास आधारभूत संसाधन जैसे 100 वर्ग फुट का कमरा, एक कम्प्यूटर सिस्टम, प्रिंटर, यू.पी.एस. स्कैनर आदि हो।

लाभ:–

- प्रार्थी स्व–रोज़गार आरम्भ कर सकता है।
- प्रार्थी सरकारी सेवाओं, आधार, बैंकिंग, रेल आरक्षण, फोटो कॉपी सुविधा, ऑनलाइन आवेदन फार्म भरना आदि कार्यों से अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकता है।

प्रार्थी आवेदन करें:– https://register.csc.gov.in

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

पात्रता:–

- लाभार्थी हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
- लाभार्थी की वार्षिक आय 2 लाख रूपये तक हो।

लाभ:–

- स्व–रोज़गार व कौशल आधारित रोज़गार के अवसर पैदा करना।
- शहरी गरीब व्यक्तियों/समूहों को स्व–रोज़गार स्थापित करने के लिए 7 प्रतिशत ब्याज दर पर एकल लाभार्थी को 2 लाख रुपये तथा समूहों को 1 0 लाख रुपये बैंक ऋण।

प्रार्थी आवेदन करें:– निकटतम MC ऑफिस में सम्पर्क करें।

पी.एम. स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना (पी.एम. स्वनिधि)

पात्रता:–

- ऐसे पथ विक्रेता, जिनके पास शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग/पहचान–पत्र है।
- ऐसे विक्रेता, जिन्हें सर्वेक्षण में चिन्हित कर लिया गया है परन्तु सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग/पहचान–पत्र जारी नहीं किया गया है।
- ऐसे पथ विक्रेता, जो शहरी स्थानीय निकाय आधारित पहचान सर्वेक्षण में छूट गए थे अथवा जिन्होंने सर्वेक्षण पूरा होने के पश्चात् बिक्री का कार्य शुरू कर दिया है एवं जिन्हें शहरी स्थानीय निकाय/टाउन वेंडिंग कमेटी (टी.वी.सी.) द्वारा इस आशय का सिफारिश पत्र (लेटर ऑफ रिकमेन्डेशन) जारी कर दिया गया है।
- ऐसे विक्रेता, जो आस–पास के विकास/परिनगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी स्थानीय निकायों की भौगोलिक सीमा के भीतर बिक्री कर रहे हैं और जिन्हें शहरी स्थानीय निकाय/टाउन वेंडिंग कमेटी द्वारा इस आशय का सिफारिश पत्र (लेटर ऑफ रिकमेन्डेशन) जारी कर दिया गया है।

लाभ:–

- शहरी पथ विक्रेता 1 वर्ष की अवधि के लिए 1 0 हजार रुपये तक की कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त करने और ऋण वापसी मासिक किस्तों में करने के पात्र होंगे।
- सामय पर या जल्द ऋण वापसी करने पर विक्रेता सवंर्धित सीमा वाले अगले कार्यकारी पूंजी (2 0 हजार व 5 0 हजार रुपये) ऋण के पात्र होंगे।

प्रार्थी आवेदन करें:– https://pmsvanidhi.mohua.gov.in

मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना,
हरियाणा सरकार

आपका स्वागत है,

मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना

मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना हरियाणा सरकार की एक पहल है जिसके तहत राज्य में सबसे गरीब परिवारों की पहचान की गई है। इस योजना के तहत, कौशल विकास, स्वरोजगार और रोजगार सृजन के उपायों का एक पैकेज अपनाया जाएगा ताकि अंत्योदय परिवारों की न्यूनतम वार्षिक आय शुरू में 1.00 लाख रू0 और बाद में 1.80 रू0 लाख तक प्रति वर्ष बढ़ाई जा सके।

श्री मनोहर लाल
माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा

Download for Android

Scheme Description Template

Download Scheme Booklet

योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए विकल्पों का चयन करें

– विभाग चुनें –

– योजना का चयन करें –

– उप योजना का नाम –

योजना विवरण देखें

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:-

https://parivarutthan.haryana.gov.in/

पारदर्शिता, विकास व हर्ष

5+2

जन सेवा के सात वर्ष

आज़ादी का अमृत महोत्सव

मुफ्त वैक्सीन-कोविड-19 महामारी नियंत्रण

मुफ्त इलाज-आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

मुफ्त राशन-प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

सबको शिक्षा-नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति

सस्ते आवास-प्रधानमंत्री आवास योजना

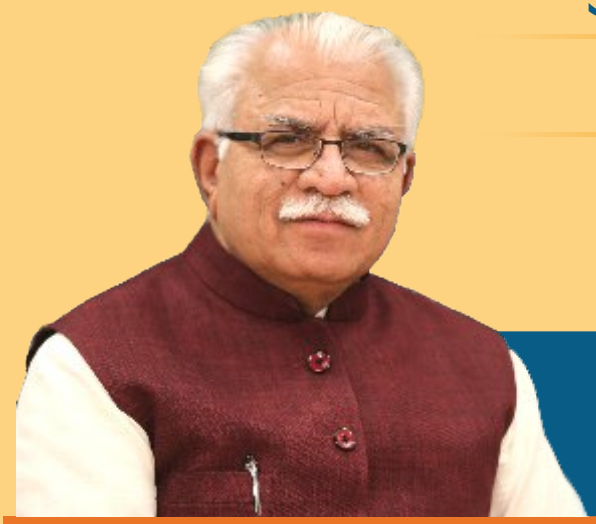

धन्यवाद मोदी जी

सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा । www.prharyana.gov.in | @DiprHaryana